भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/69/2017 **दिनांक : 24 अगस्त**, 2017

प्रेस नोट

विषय : विधान सभा सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए उप-निर्वाचन।

राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आसीन सदस्यों के त्याग-पत्र दिए जाने के कारण उत्तर प्रदेश की राज्य विधान परिषद में (4) आकस्मिक रिक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं।ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं.	**सदस्य का नाम**	**रिक्ति की तारीख**	**सेवानिवृत्ति की तारीख**
1.	श्री बुक्कल नवाब	**29.07.2017**	**06.07.2022**
2.	श्री यशवन्त	**29.**07.2017	**06.07.2022**
3.	डॉ. सरोजिनी अगरवाल	**04.08.**2017	**30.01.2021**
4.	श्री अशोक बाजपेयी	**09.08.2017**	**30.01.2021**

2. आयोग ने उपर्युक्त रिक्तियों को भरने के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उप-निर्वाचन कराए जाने का निर्णय लिया है:-

क्रम सं.	**कार्यक्रम का विषय**	**तारीख एवं दिन**
1.	अधिसूचना जारी करना	**29** अगस्त, 2017 (मंगलवार)
2.	नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	**5** सितम्बर, 2017 (मंगलवार)
3.	नाम निर्देशनों की संवीक्षा	**6** सितम्बर, 2017 (बुधवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	**8** सितम्बर, 2017 (शुक्रवार)
5.	मतदान की तारीख	**15** सितम्बर, 2017 (शुक्रवार)
6.	मतदान का समय	पूर्वाह्न **9.00** बजे से अपराह्न **4.00** बजे तक
7.	मतों की गणना	**15** सितम्बर, 2017 (शुक्रवार) को अपराह्न **5** बजे
8.	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	**18** सितम्बर, 2017 (सोमवार)

ह0/-

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव